अनुदान संख्या 91 - इस्पात मंत्रालय
GRANT No. 91–MINISTRY OF STEEL

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	72,53,00		82,51,00	77,14,57	–5,36,43
पूरक	Supplementary	9,98,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4,77,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			17,00,00	15,00,00	–2,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (536.43 लाख रु.) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 998.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 54 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.536.43 lakhs) constituted 54 percent of the supplementary grant of Rs.998.00 lakhs obtained in March,2006 and 7 percent of the total sanctioned provision.

Saving/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	6287.00			
पू.	S.	998.00	6857.00	6836.43	–20.57
पु.	R.	–428.00			

(I) "लोहा तथा इस्पात उद्योग - विनिर्माण - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को लागू करने के लिए बैंकों से लिए गए कर्जों पर ब्याज की अदायगी करने के लिए हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को आर्थिक सहायता''- 506.14

(I) Under "Iron and Steel Industries - Manufacture – Subsidy to Hindustan Steelworks Construction Limited for payment of Interest on loans raised from banks for implementation of

लाख रु. की बचत (5681.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कर्जों पर बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज दरों में अधोमुखी संशोधन किए जाने और साथ ही कम ब्याज वाले कर्जों पर उच्च ब्याज दरों की अदला-बदली किए जाने के कारण भी हुई ।

Voluntary Retirement Scheme" - saving of Rs.506.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5681.00 lakhs) was due to downward revision in the interest rates charged by the banks on the Voluntary Retirement Scheme loans of Hindustan Steelworks Construction Limited and also on account of swapping of high-interest bearing loans with low-interest bearing loans.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (125.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2852" - "लोहा तथा इस्पात उद्योग-विनिर्माण - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कर्जों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी पर गारंटी शुल्क के अधित्याज के लिए मेकन लिमिटेड को आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत 998.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 124.00 लाख रु. था।

2. The above saving was partly (Rs.125.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.998.00 lakhs under Major Head "2852" – "Iron and Steel Industries – Manufacture – Subsidy to MECON Limited for waiver of guarantee fee on the guarantee given by the Government of India for VRS loans" – Actual excess, however, was Rs.124.00 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "6852" लौह तथा इस्पात उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6852" Loans for Iron and Steel Industries				
मू.	O.	1000.00	800.00	800.00	. .
पु.	R.	–200.00			

(I) 200.00 लाख रु. का प्रावधान "खनन - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - बर्ड्स ग्रुप ऑफ कंपनीज'' के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के लिए किए गए प्रावधान का उपयोग न किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

(I) Provision of Rs.200.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "Mining - Loans to Public Sector and Other Undertakings-Birds Group of Companies" - due to non-utilisation of provision for Voluntary Retirement Scheme and was eventually surrendered.